

आज दिनांक 06.06.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा हत्या में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 04.06.2022 को वादिनी फरीदा खातून पत्नी मोहम्मह रुस्तम उर्फ भोलू निवासी डड़वा थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा सूचना दिया गया कि उसके पति रात में घर के बाहर दरवाजे पर तखत डालकर सोये हुए थे, समय करीब सुबह 05 बजे पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही मो0 मेराज पुत्र मो0 इमरान, मो0 इमरान पुत्र मो0 इस्लाम व अमिरुन्निशा पत्नी मो0 इमरान एकाएक हत्या करने की नीयत से एक राय होकर मेरे दरवाजे पर आ गये, मो0 मेराज अपने एक हाथ में धारदार बोगदा व एक हाथ में चाकू लिए था, मो0 इमरान ने प्रार्थिनी के पति का हाथ व अमीरुन्निशा ने पैर पकड़ लिया और मो0 मेराज ने हत्या करने की नीयत से मेरे पति के सिर व गले पर बोगदे से कई बार वार कर दिया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गये। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई, अस्पताल में डाक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 309 / 2022 धारा 302/504/506/34 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री विजय नारायण प्रसाद व निरीक्षक अपराध श्री दीपक कुमार दूबे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 06.06.2022 को डड़वा तिराहे के पास से समय 12.45 बजे मु0अ0सं0 309 / 2022 धारा 302 / 504 / 506 / 34 भादवि की घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त नाम पता मेराज पुत्र मो0 इमरान निवासी डड़वा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी-

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-

निरीक्षक अपराध श्री दीपक कुमार दूबे, वरि0उ0नि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री राकेश कुमार मिश्रा, का0 अरूण प्रजापति, का0 अमरजीत।

एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान आज दिनांक 06.06.2022 को अभियुक्त आकाश कुमार पुत्र स्व0 संतलाल प्रसाद निवासी दक्षिण कोलिया थाना गीडा जनपद गोरखपुर को 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

आकाश कुमार पुत्र स्व0 संतलाल प्रसाद निवासी दक्षिण कोलिया थाना गीडा जनपद गोरखपुर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 314 / 2022, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी

01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी चौकी उ0नि0 श्री सत्येन्द्र यादव, का0 लाल प्रताप सिंह, का0 मनीष कुमार।

दबिश के दौरान 01 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता मुस्ताक अहमद पुत्र नियाज अहमद निवासी उसरा शहीद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी चौकी बाघनगर उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 प्रमोद कुमार यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 21 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3309 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3309 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत जगदीशपुर से इवेन्ट संख्या 3309 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति (विनय पुत्र श्री गोरख ग्राम उरूआ बाजार जनपद गोरखपुर) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 04 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 से प्रा0 स्वा0 केन्द्र नाथनगर भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी विनोद कुमार सिंह, हो0चा0 त्रिभुवन चौधरी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 29 वाहनो से 16,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.06.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 29 वाहनो से 16,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।